आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-211/2016 - 1667 / पटना, दिनांक– 24.3.17

प्रेषक,

संजय कुमार,
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी पथ निर्माण की कुल **06** अदद (SC) योजना का निर्माण कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Chart- A

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)	Cost per Km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Masaurhi	Masaurhi	SC	Devariya-Tiskhora Path to Kewta	4	0.432	1412	28.370	65.671
2	Masaurhi	Masaurhi	SC	Berra PMGSY Path to Mahuabigha	8	1.390	1091	97.610	70.223
		Total				**1.822**	**2503**	**125.980**	
3	Masaurhi	Punpun	SC	Lochna to Mahadalit Tola Mushari Taand	9	1.230	400	61.797	50.241
		Total				**1.230**	**400**	**61.797**	
4	Masaurhi	Dhanarua	SC	Rer Bigha Baas Bigha Path to Singrampur	37	2.058	404	113.050	54.932
5	Masaurhi	Dhanarua	SC	Sai Kadirganj Path to Mudaffarpur	30	1.272	490	69.827	54.895
6	Masaurhi	Dhanarua	SC	Damura Dhumaul Bujurg Path to Makhdumpur	32	0.688	461	45.35	65.916
		Total				**4.018**	**1355**	**228.227**	

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **11.03.2017** को निम्न शर्तो के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

(क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मसौढ़ी** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मसौढ़ी** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मसौढ़ी** योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113 एवं अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मसौढ़ी** द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच ता0 तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक **11.03.2017** को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-**211/16** के पृष्ठ–**11** / टि0 पर प्राप्त है।

12. इस योजना मद् में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

14. यह राशि उसी मद से खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद से नहीं।

15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।

17. वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53 / 2007–96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।

18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प पत्रांक–एम० 4–53 / 2007–96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 की कंडिका–4 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-**211/16** के पृष्ठ–**11** / टि0 पर दिनांक **11.03.2017** को विभागीय सचिव के आदेशानुसार प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-211/2016 पृष्ठ संख्या–....13....... / टि0 पर दिनांक 24.3.17 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24.3.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-**211/2016** - 1667 / पटना, दिनांक– 24.3.17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रमण्डलीय आयुक्त, **पटना** / जिला पदाधिकारी, **पटना** / उप विकास आयुक्त, **पटना** / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / **मुख्य अभियंता–1**, पटना / मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **पटना** / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **मसौढ़ी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभााग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.3.17

सरकार के संयुक्त सचिव